



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082022-237966
CG-DL-E-05082022-237966

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3534]
No. 3534]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2022/श्रावण 14, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2022/SHRAVANA 14, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022

का.आ. 3701(अ).—गृह मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी ने संयुक्त सचिव (विदेश) को राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्य, पदेन, के रूप में नामित किया है।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 17 (2) (घ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 4 मई 2022 की अधिसूचना संख्या यू.11019/03/2022-एचआर में क्रमांक संख्या (iii) के पैरा (घ) में राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्य, पदेन, के रूप में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेश) को शामिल किया गया है।

[फा. सं. यू.11019/03/2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2022

S.O. 3701(E).—The competent authority of Ministry of Home Affairs has nominated Joint Secretary (Foreigners) as Member, ex officio, in the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board.

In exercise of power conferred under Section 17 (2) (d) of Surrogacy (Regulation) Act, 2021, Joint Secretary (Foreigners), Ministry of Home Affairs is included as a Member, ex-officio, in the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board at serial number (iii) in para (d) of notification no. U.11019/03/2022- HR dated 4th May, 2022.

[F. No. U.11019/03/2022-HR]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.